प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज किया गया। प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थी पक्ष भू.अ. निरीक्षक/तहसीलदार जायल से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिन्होने प्रार्थी का सही दस्तावेजी नाम सुरेन्द्रसिंह पुत्र चैनसिंह जाति राजपूत साकिन देह खातेदार सही नाम होने तथा ग्राम–ऐवाद के खाता संख्या 549 में प्रार्थी का नाम सुरसिंह पुत्र चैनसिंह राजपूत साकिन देह खातेदार दर्ज नाम अशुद्ध होना जाहिर किया तथा प्रार्थी का सही नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने हेतु अभिशंषा की।

प्रकरण में पक्षकारान/राजपैरोकार को सुना गया। प्रकरण तथा प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेज, रिपोर्ट तहसीलदार जायल का अवलोकन किया गया। जिससे प्रार्थी का राजस्व रिकॉर्ड में नाम सुरसिंह पुत्र चैनसिंह एवं सरकारी दस्तावेजों में नाम सुरेन्द्रसिंह पुत्र चैनसिंह राजपूत साकिन देह खातेदार होना पाया गया तथा प्रार्थी को इन दोनो नाम में अन्तर होने से सरकारी सुविधा नहीं मिलना प्रतीत होता है। अतः हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाना तथा राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम दुरूस्त/शुद्ध किया जाना उचित समझते है।

– : : आदेश : : –

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे ग्राम ऐवाद तहसील जायल के खाता संख्या 549 में अंकित खसरा नं. 138/1, 162/6, 198/1 में वर्णित नाम सुरसिंह पुत्र चैनसिंह जाति राजपूत साकिन देह खातेदार के स्थान पर सुरेन्द्रसिह पुत्र चैनसिंह जाति–राजपूत साकिन देह खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त/शुद्ध किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 12/11/2021 को मेरे द्वारा मजमें आम सुनाया गया।

12/11/2021

(रवीन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, जायल

Scanned with CamScanner